

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2011—श्रावण 21, शक 1933

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

सूचना

क्र. 4864-वियो-273-नग्रानि-2011.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि ग्वालियर निवेश क्षेत्र की विकास योजना में प्रस्तावित उपांतरणों का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार दिनांक 12 अगस्त 2011 को प्रकाशित किया गया है. उक्त प्रारूप की प्रति कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर विकास प्राधिकरण, ग्वालियर, आयुक्त, नगरपालिक निगम, ग्वालियर तथा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल के कार्यालयों में दिनांक 12 अगस्त 2011 से कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 12 अगस्त 2011 से कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, 1, रवि नगर, जी.डी.ए. भवन, जिला कार्यालय, ग्वालियर में प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है. प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर शुल्क अदायगी करने पर प्रदाय होगी.

उक्त प्रारूप विकास योजना की विशिष्टतायें नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी हैं :-

अनुसूची

1. भूमि के अद्यतित वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र.
- 1-क प्राकृतिक परिसंकरों के विवरण सहित प्राकृतिक परिसंकर उन्मुख क्षेत्र.
2. प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप के उपबंधों को स्पष्टीकृत करने वाले मानचित्रों तथा चार्ट्स समर्थित की गई वृत्तात्मक रिपोर्ट.
3. प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप के कार्यान्वयन की क्रमावस्था.
4. प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप को प्रवर्तित करने के लिये तथा वह रीति जिसमें विकास के अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, कथित करने के लिये उपबंध.
5. लोक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन के खर्चे तथा प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप के कार्यान्वयन के अन्तर्वलित कार्यों के खर्चे का लगभग प्राक्कलन.

उक्त प्रारूप प्रस्ताव के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हों तो इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तिथि से 30 दिन की कालावधि के भीतर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, ग्वालियर को भेजें या प्रदर्शनी स्थल पर प्रस्तुत करें।

के. सी. गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक.

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. एफ-3-78-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक 4864-वियो-273-11, दिनांक 6 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 6th August 2011

NOTICE

No. 4864-MPS-273-2011.—Notice is hereby given that the Draft of the proposed modifications in the Development Plan for Gwalior Planning Area is published on 12th August 2011 in accordance with the provision of sub-section (2) of Section 23 read with sub-section (1) of Section 18 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhinyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection w.e.f. 12th August 2011 at the office of the Collector, Distt. Gwalior, Chief Executive Officer, Gwalior Development Authority, Gwalior, Commissioner, Municipal Corporation, Gwalior, and Directorate Town & Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal during office hours, except holidays. An exhibition is also arranged at Joint Director, Town & Country Planning, 1, Ravi Nagar, G.D.A. Building, Distt. Office Gwalior w.e.f. 12th August 2011. Copies of the Plan will be supplied on payment at the exhibition place.

The particulars of the said Draft Development Plan have been specified in the Schedule given below :—

SCHEDULE

1. The existing land use map.
- 1-a The natural hazard prone areas with the description of natural hazards.
2. A narrative report, supported by maps and charts, explaining the provisions of the development plan.
3. The phasing of implementation of the development plan.
4. The provisions of enforcing the draft development plan and stating the manner in which permission of development may be obtained.
5. An approximation of the cost of land acquisition, for public purpose and the cost of works involved in the implementation of the development plan.

If there be any objection or suggestions with respect to the said Draft Development plan, it should be sent to the Director, Town and Country Planning, Madhya Pradesh, Bhopal, exhibition place or joint Director town and country planning Gwalior within 30 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

K. C. GUPTA, Commissioner-cum-Director.